

प्रेषक,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
चमोली / रुद्रप्रयाग / पौड़ी / टिहरी / हरिद्वार / उत्तरकाशी  
/ अल्मोड़ा / नैनीताल / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक/सेवायें-2/सेवा0अराज/ 20074-75 /तीन(ग)/28/2024-25 दिनांक.....दिसम्बर, 2024  
विषय: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत  
विषय विशेष (मानविकी वर्ग) गेस्ट टीचरों की तैनाती/नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-257134/xxiv-B-1/22-32(01)/2013 T.C.V. दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 द्वारा शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22-11-2018 द्वारा राजकीय विद्यालयों में कुल 5034 रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति/तैनाती किये जाने हेतु प्रदान की गयी पूर्व अनुमति के क्रम में 5034 पदों में से वर्तमान में रिक्त 599 पदों पर प्रवक्ता संवर्ग के अन्तर्गत हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषय में गेस्ट टीचर की नियुक्ति/तैनाती वर्णित शासनादेश दिनांक 22-11-2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

सूच्य है कि शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22-11-2018 के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स0अ0 एल0टी0 एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों के प्रति गेस्ट फ़ैकल्टी के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से तत्समय ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे। तत्समय प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर एवं उक्तानुसार प्रदत्त अनुमति के अनुसार विषयवार अवशेष अभ्यर्थियों में से प्रवक्ता संवर्ग के कुल 599 (हिन्दी-150, भूगोल-75, अर्थशास्त्र-150, नागरिक शास्त्र-150 एवं इतिहास-74) रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट सूचियां तैयार कर आपको ई मेल आई0डी0 एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-2(8) एवं प्रस्तर-2(11) में वर्णित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं विद्यालय का आवंटन करते हुये, निदेशालय के पत्रांक 27808-09 दिनांक 01 जनवरी, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों का संज्ञान लेते हुए जनपद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों से मिलान कर भली-भांति सत्यापन करवाने के उपरान्त शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में विहित व्यवस्थानुसार 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैनाती देना सुनिश्चित करें।

गेस्ट फ़ैकल्टी की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालयों में की जाय जहां शिक्षकों के अधिक पद रिक्त हों, एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

संलग्न-उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0 (एस0बी0 जोशी)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड


पृ0सं0 / सेवा0अराज0 / सेवा0-2 / तीन (ग) / 28 / 20074-75 / 2024-25 दिनांक-उक्तवत्।  
प्रतिलिपि-एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि गेस्ट टीचरों की सूचियों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


डॉ0 (एस0बी0 जोशी)  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड


**LECTURER HINDI GENERAL HARIDWAR-01**


S.No	APPLICATION ID	NAME	FATHER NAME	DOB	GENDER	CASTE	MOBILE	EE DISTRICT	EE NUMBER	HORI RESERVATION	POINT	CHOICE	DISTRICT	CATEGORY
1	18UA362290K1-01	KM ABHA	SHRI BHARAT PRAKAS	19-05-1989	FEMALE	GEN	9634645699	Tehri	UA296/2013	WO	27.6055	2 nd choice	HARIDWAR	GEN-WO

  
 (विनोद कुमार गुसाई)  
 प्र.भ.शि.उ.  
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

  
 जगदीश सिंह राह  
 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

  
 (मंजू भारती)  
 उप निदेशक  
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

  
 रमेश सिंह  
 उप निदेशक  
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

  
~~अपर निदेशक~~  
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
 देहरादून

  
 Kuldeep Gairola  
 Additional State Project Director  
 Samagra Shiksha Uttarakhand